उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987[१]

THE CONSUMER PROTECTION RULES, 1987

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 कहा जा सकेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिकर्ता'' से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपने बदले में कोई परिवाद, अपील या उत्तर दाखिल करने के लिये पक्षकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ग) ''अपीलार्थी'' से पक्षकार अभिप्रेत है जो राज्य आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करता है

(घ) ''अध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ङ) ''ज्ञापन'' से अपीलार्थी द्वारा दाखिल कोई ज्ञापन अभिप्रेत है।

(च) ''विपक्षी पक्षकार'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिवाद का दावा उत्तर देता है,

(छ) ''सभापति'' से राष्ट्रीय आयोग का सभापति अभिप्रेत है।

(ज) ''प्रत्यर्थी'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अपील के ज्ञापन का उत्तर देता है।

(झ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(ञ) ''राज्य'' संघ शासित क्षेत्रों को भी शामिल करता है,

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त होते हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।

[2][**2क. राज्य सरकारों द्वारा किसी शाला को समुचित प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान करना –** (1) किसी प्रयोगशाला को ''समुचित प्रयोगशाला'' के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन सुसंगत ब्यौरे सहित, तीन प्रति में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित प्ररूप में राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्य से संबंद्ध विभाग को भेजेगा।

(2) राज्य सरकार, आवेदक से आवेदन प्राप्त करने पर उसकी दो प्रतियॉ भारतीय मानक ब्यूरो को उनके (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा विहित मानकों के आधार पर प्रयोगशाला की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये प्रभारित फीस आवेदक द्वारा संदत्त की जायेगी।

(3) राज्य सरकार भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशें और अनुमोदन प्राप्त होने पर, उस प्रयोगशाला को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रयोजन के लिए ''समुचित प्रयोगशाला'' के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिसूचित करेगी।]

3. **केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन और कार्यकारी समूह –** (1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय परिषद के रूप में निर्दिष्ट गठन करेगी) [3][जिसमें निम्नलिखित अधिकतम 150 सदस्यों को शामिल किया जायेगा,] अर्थात् –

(क) [4][केन्द्रीय सरकार के उपभोक्तता मामलों का प्रभारी मन्त्री,] जो केन्द्रीय सरकार परिषद् का अध्यक्ष होगा,

(ख) [4][केन्द्रीय सरकार के उपभोक्तता मामलों] में राज्य मंत्री (जहॉ वह स्वतंत्र प्रभार नहीं धारण कर रहा है) या उप मन्त्री, जो केन्द्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होगा।

(ग) राज्य में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मन्त्री,

(घ) संसद के आठ सदस्य – लोक सभा में पांच तथा राज्य सभा में तीन,

[4][(ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का सचिव।]

(च) उपभोक्ता हित से सम्बद्ध केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्वायत्त संगठनों के प्रतिनिधिगण बीस से अधिक नहीं,

(छ) उपभोक्ता संगठनों या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधिगण – पैंतीस से कम नहीं,

(ज) महिलाओं के प्रतिनिधि – दस से कम नहीं,

(झ) किसानों, व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधिगण – बीस से अधिक नहीं,

(ञ) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम व्यक्तियों, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है – पन्द्रह से अधिक नहीं,

(ट) केन्द्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का भार साधक सचिव, जो केन्द्रीय परिषद का सचिव होगा।

(2) परिषद् की अवधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई सदस्य, केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में, परिषद् से त्यागपत्र दे सकेगा। रिक्तियां, इस प्रकार या अन्यथा उत्पन्न, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी संवर्ग से भरी जायेगी और ऐसा व्यक्ति उस समय तक पद धारण करेगा जैसा कि सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, पद धारण करने का हकदार था, यह रिक्ति न उत्पन्न हुयी होती।

[५][(4) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद्, की सिफारिशो के कार्य कलाप को प्रमीटर और परिषद के कार्यकरण के संबंध में सुझाव देने के प्रयोजन के लिये परिषद् के सदस्यों में से परिषद् के सदस्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक स्थायी कार्यकरण ग्रुप का गठन करेगी। स्थायी कार्यकरण ग्रुप का गठन करेगी स्थायी कार्यकरण ग्रुप 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा और जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए उसकी बैठक बुलाई जायेगी।]

4. **केन्द्रीय परिषद् की प्रक्रिया** – धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा –

(1) केन्द्रीय परिषद् के बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, केन्द्रीय परिषद, परिषद् की बैठकी अध्यक्षता करेगें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, केन्द्रीय परिषद्, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करने के लिये एक सदस्य को चुनेगी।

(2) केन्द्रीय परिषद् की प्रत्येक बैठक प्रत्येक सदस्य को लिखित में सूचना, बैठक की तिथि से दस दिनों में कम नहीं की, देकर बुलाई जायेगी।

(3) केन्द्रीय परिषद् की बैठक की प्रत्येक सूचना में बैठक स्थान, और दिन और समय को विनिर्दिष्ट किया जायेगा और उसमें संव्यवहार किये जाने वाले कारबार का कथन अन्तर्विष्ट होगा।

(4) केन्द्रीय परिषद की कोई कार्यवाही मात्र उसमे रिक्ति के विद्यमान होने या परिषद् के गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अवैध न होगी।

(5) अधिनियम के अधीन अपने कार्य के अनुपालन के प्रयोजन के लिये, केन्द्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी समूह का गठन कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित कार्यकारी समूह ऐसे कार्यो को करेगा जो इसे केन्द्रीय परिषद द्वारा समनुदेशित किया जाय। ऐसे कार्यकारी समूह से निष्कर्षो को केन्द्रीय परिषद के समक्ष उसके विचारण के लिये रखा जायेगा।

(6) अराजकीय सदस्य को आने–जाने के लिये सभी ट्रेनों (राजधानी एक्सप्रेस सहित) की प्रथम श्रेणी द्वितीय वातानुकूलित का किराया अथवा यात्रा का वास्तविक तरीका जो भी कम हो जाने का अधिकार होगा। बहारी अराजकीय सदस्य केन्द्रीय परिषद् या किसी कार्यकारी दल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये सौ रूपये प्रतिदिन से भत्ता पाने का अधिकार होगा। स्थानीय अराजकीय सदस्य शहरों के श्रेणीकरण को विचार में लिये बिना वास्तविक प्रवहन किराया प्रभार 75/– की अधिकतम सीमा के अध्यधीन भुगतान किया जाएगा। संसद का यात्रा एवं दैनिक भत्ते ऐसी दरों से होगी जो ऐसे सदस्यों के अनुज्ञोय होते है।

(7) केन्द्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव अनुशासनात्मक प्रकृति का होगा।

5. **राष्ट्रीय आयोग का स्थान** – राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में स्थित होगा।

6. **राष्ट्रीय आयोग का कार्य दिवस और कार्यकाल समय** – राष्ट्रीय आयोग का कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार का है।

7. **मुहर और संप्रतीक** – राष्ट्रीय आयोग की कार्यालयी मुहर और संप्रतीक वैसी होगी जैसा की केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

8. **राष्ट्रीय आयोग की बैठक** – राष्ट्रीय आयोग की बैठक, जब आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी।

9. **राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारी** – केन्द्रीय सरकार इतने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जितना कि राष्ट्रीय आयोग को इसके प्रत्येक दिन के कार्य में तथा ऐसे अन्य कार्यो,

जो अधिनियम या इस नियमावली के अधीन प्रावधानित किया गया है या अध्यक्ष द्वारा इसे समनुदेशित किया गया है, को करने में सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक हो।

10. **राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम की अतिरिक्त शक्तियां** – (1) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम को किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने की शक्ति होगी –

(क) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयेग या जिला फोरम, जैसा कि मामला हो, इसके बदले में निर्दिष्ट किया जाय, के अधिकारी इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति के नियन्त्राधीन या के अभिरक्षा में एक ऐसे बहियों, लेखों, दस्तावेजों या वस्तुओं, जैसा कि अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाय का वर्णन किया जाए, के समक्ष पेश करने के लिए या द्वारा र,खे जानेके लिये या परीक्षण किये जाने के लिए, अनुज्ञात करने के यदि ऐसे वहियों, लेखों, दस्तावेजों या वस्तुओं का परीक्षण इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अपेक्षित किया जाता है,

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किया जाय

परन्तु ऐस समपहरण की सूचना, यताशीघ्र जब यह किया जाता है या ऐसे समपहरण के 72 घण्टे से अनधिक अवधि के अंतर्गत, ऐसे समपहरण के लिए लिखित में कारणों को विनिर्दिष्ट करने के बाद राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम, जैसा की मामला हो, को दी जायेगी ;

(क) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला फोरम जैसा कि मामला हो, के पास विश्वास करने का कोई आधार है कि कोई बही, कागजात, वस्तु या दस्तावेज, जो ऐसी कार्यवाही में पेश करने के लिए अपेक्षित किया जाए, क्षतिग्रस्त विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत या छिपाया जा रहा है या जा सकेगा, वहीं वह लिखित आदेश द्वारा, किसी परिसर में प्रवेश और उसकी तलाशी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बहियों, कागजातों, दस्तावेजों या वस्तुओं जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा किया जाता है, का समपहरण कर सकेगा :

(ख) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम, जैसा कि मामला हो, ऐस समपहरण किये गये दस्तावेजों या वस्तुओं, जैसा कि मामला हो, के परीक्षण पर उसके प्रति धारण का आदेश दे सकेगा या सम्ब्द्ध पक्षकार को उसे वापस कर सकेगा।

11. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, मानदेय और अन्य भत्ता – [(1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पदस्य न्यायाधीश को उपलब्ध वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा और अन्य सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर पदस्थ हैं तो, प्रतिमास 10,000 रू. के संचित मानेदय, यदि अंशकालिक आधार पर पदस्थ हैं तो, बैठक के 500 रू. प्रतिदिन के संचित मानदेय को प्राप्त करेंगे][६]

(2) अध्यक्ष और सदस्य शासकीय यात्रा पर यात्रा और दैनिक भत्ता उस पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समूह ''अ श्रेणी'' के अधिकारी को स्वीकार्य है।

[७][(2–A) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बैठक का एक सौ पचास रूपये प्रति दिन की दर से या एक हजार पॉच सौा रूपये प्रतिमाह का कुल मानदेय जैसा भी इच्छित हैं। यात्रा भत्ता प्राप्त करेगी।]

(3) मानदेय या वेतन, जैसा कि मामला हो, तथा अन्य भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जायेगा।

12. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्ते – (1) नियुक्ति के पहले, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को यह वचन देगा कि उनका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जो ऐसे सदस्य के रूप में उनके कार्यो को संभवतया पूर्व प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करे।

[८][(2) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा किन्तु वे पुनः नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होंगे।]

(3) उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुये भी अध्यक्ष या सदस्य –

(क) केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख में किसी समय अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) नियम 13 के प्रावधानों के अनुसरण में अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्ते उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके लिए अन्यायकर रूप में परिवर्तित नहीं करेगा।

(5) उपनियम (3) के अधीन या अन्यथा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने या के त्यागपत्र से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति, नयी नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

[9][(6) जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या जब ऐसा अध्यक्ष, अनुपस्थिति या अन्यथा कारण से, अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐस व्यक्ति, जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह है, द्वारा किया जायेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिये नियत किये।]

[10][X X X]

[10] (7) इस प्रकार के पद से मुक्त होने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी संगठन, जो उस तिथि, जिस पर वह पद मुक्त होता है से पांच वर्षो की अवधि के लिए अपनी कार्यवाही के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा है, के प्रबन्ध या प्रशासन या होने वाले संगठन में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. **कतिपय परिस्थितियों में पद से अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाना –** (1) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया है; या

(ख) किसी अपराध, जो केन्द्रीय सरकार के विचार में नैतिक अधमता को शामिल करता है, के लिए दोषसिद्धि किया जा चुका है ; या

(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है ;

(घ) ऐसी वित्तीय या अन्य हित अभिप्राप्त कर लिया है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्य के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होने की संभावना है ; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को लोकहित के प्रतिकूल बना देता है

[11][; या]

[11][(च) अपने नियंत्रण से परे कारण के सिवाय वह लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।]

(2) उप नियम (1) के अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई सदस्य इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया, जैसा कि यह इसके लिए विहित करे, के अनुरक्षण में किए गए जांच पर और ऐस आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को दोषी होना पाए जाने के सिवाय, अपने पद से नहीं हटाया जायेगा।

14. राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1) निम्नलिखित विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई परिवाद व्यक्तिगत रूप से परिवादी द्वारा या अपने अभिकर्ता द्वारा या राष्ट्रीय आयोग को सम्बोधित पंजीकृत डाक द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश किया जायेगा –

(क) परिवादी का नाम, वर्णन और पता ;

(ख) विपक्षी पक्षकार या पक्षकारों, जैसा कि मामला हो, जहां तक वे अभिनिश्चित किए जा सकते है, के नाम, वर्णन और पता ;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और जब तथा जहां वे उत्पन्न हुए ;

(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज ;

(ङ) अनुतोष, जो परिवादी दावा करता है।

(2) राष्ट्रीय आयोग, अपने समक्ष किसी परिवाद के निपटारे में, यथा सम्भव, जिला फोरम द्वारा प्राप्त किये गये परिवाद के संबंध में धारा 13 की उपधारा (1) और (2) में अधिकथित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा।

(3) सुनवाई की तिथि या किसी अन्य तिथि, जिसकों सुनवाई स्थगित की जा सकती थी, पर पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकारी होगा। जहां परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसी स्थिति पर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय आयोग अपने विवेकाधिकार में या तो परिवाद को व्यतिक्रम के कारण निरस्त कर सकेगा या गुणावगुण पर इसकों विनिश्चित कर सकेगा। जहां विपक्षी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय आयोग परिवाद को एक पक्षीय विनिश्चित कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय आयोग ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह उचित समझे, और कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा किन्तु परिवाद विपक्षी पक्षकार द्वारा अभिप्राप्त सूचना की तिथि से तीन मास की अविधि के अन्तर्गत यथासम्भव, विनिश्चत किया जाएगा जहां परिवाद वस्तुओं के विश्लेषण या प्रशिक्षण की अपेक्षा नहीं करता और पांच मास के अन्दर विनिश्चित किया जाएगा, यदि वह वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा करता है।

(5) यदि उप नियम (3) के अधीन संचालित कार्यवाहियों के बाद राष्ट्रीय आयोग परिवयाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों से सुतुष्अ हैं, तो वह विपक्षी पक्षकार या पक्षकारों, जैसा कि मामला हो, को चीजों, जा धारा 14 की उपधारा (1) में वर्णित है, में से एक या

अधिक को उसे या उनका ग्रहण करने का निर्देश देते हुऐ आदेश जारी करेगा। राष्ट्रीय आयोग को यह निर्देश देने की भी शक्ति होगी कि उसके द्वारा पारित कोई आदेश , हजां धारा 23 के अधीन अपील दाखिल नहीं की गई है या जहां उस धारा के अधीन राष्ट्रीय आयोग के आदेश की सम्पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई है, को शासकी राजपत्र में या किसी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही संसिति नहीं की जाएगी।

15. **अपील की सुनवाई के लिए प्रकिया** – (1) राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ज्ञापन अपीलार्ाी या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्गित रूप से या आयोगको संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेज कर पेश किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन दाखिल प्रत्येक ज्ञापन पठनीय हस्तलेख में, अधिनातः टंकित में होगा और किसी तर्क के बिना अपील के आधारों को विभिन्न शीर्षकों के अधीन संक्षेप में उउपविर्णित किया जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमशः संख्यांकित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ज्ञापन राज्य आयोग के आदेश , जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि और ऐसे दस्तावेजों के साथ होगा, जैसा कि अपील में वर्णित आक्षेप के आधारों को समर्थित करने के लिए अपेक्षित हो।

(4) जब अपील अधिनियम में वर्णित परिसीमा अवधि के अवसान के बाद दाखिल की जाती है, तब अपील तथ्यों , जिस पर अपीलार्थी राष्ट्रीय आयोग को समाधान होने का विश्वास करता है कि उसके पास परिसीमा अवधि के अन्तर्गत अपील न दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारण है, को उपवर्णित करने वाले शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन के साथ होगा।

(5) अपीलार्थी शासकीय प्रयोजन के लिए आयोग के समक्ष ज्ञापन की छह प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा।

(6) सुनवाई की स्थिति पर या किसी अन्य दिन, जिस दिन सुनवाई स्थिगित की जा सकेगी। पक्षकारों का उसके अभिकर्ताओं को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकारी होगा। यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्ता ऐसी स्थिति पर उपस्थित रहने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय आयोग, अपने विवेकाधिकार में या तो अपील को निरस्त कर सकेगा या गुणावगुण पर एक पक्षीय विनिश्चित कर सकेगा। यदि प्रत्युत्तरदाता या उसका हअभिकर्ता ऐसे तिथि पर उपसिति रहने में असफल रहात है, तो राष्ट्रीय आयोग एक पक्षीय कार्यवाही करेगा और मामले के गुणावगुण पर अपील को विनिश्चत करेगा।

(7) राष्ट्रीय आयोग की अनुमति के सिवाय अपीलार्थी ज्ञान में उपविर्णित नहीं, आक्षेप के किसी आधार के समर्थन में तर्क नहीं देगा या सुना नहीं जाएगा किन्तु राष्ट्रीय आयोग, अपील के विनिश्चचन मे, ज्ञापन में उपविर्णित आक्षेप मे आधारो तक सीमित नहीं कर सकेगाः

परन्तु आयोग ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उन आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर अपने निर्णय को तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक पक्षकार जो उसके द्वारा प्रभावित हो सकेगा, को राष्ट्रीय आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

(8) राष्ट्रीय आयोग से ऐसे निबन्धनों, जिसे वह उचित समझे पर और किसी प्रक्रम पर अपील की यथा सम्भव सुनवाई के प्रथम तिथि से 90 दिनों के अन्तर्गत विनिश्चित की जायेगी।

[१२][(9)राष्ट्रीय आयोगके आदेश से संबंद्ध पक्षकारों को निःशुल्क संसूचित किया जायेगा।]

[१३][15–क, **राष्ट्रीय आयोग की बैठक और आदेशों को हस्ताक्षरितकिया जाना** – (1) राष्ट्रीय आयोग की प्रत्येक कार्यवाही अध्यक्ष [१४][या नियम 12 के अधीन प्रधिकृत ज्येष्ठतम् सदस्य] और कम से कम उसके दो सदस्यों द्वारा साथ–साथ बैठकर संचालित की जायेगीः

परन्तु जहां सदस्य या सदस्यगण किसी कारण से कार्यवाही समाप्त होने तक उसे संचालित करने में असमर्थ हैं, वहां अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही को नये सिरे से संचालित करेगा।

(2) राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष [१५][या नियम 12 के अधीन प्राधिकृत ज्येष्ठतम् सदस्य] और कम से कम दो सदस्यों , जिन्होनें कार्यवाही को संचालित किया था, द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और यदि उनके मध्य कोई मतभेद है तो, बहुतम का विचार राष्ट्रीय आयोग का आदेश होगाः

परन्तु जहां कार्यवाही उसके अध्यक्ष [१५][या नियम 12 के अधीन प्रधिकृत ज्येष्ठतम् सदस्य] और तीन सदस्य द्वारा संचालित की जाती है और वे किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतभेद रखते हैं, वहां वे बिन्दु या बिन्दुओं , जिस पर वे मतभेद रखते हैं,का उल्लेख करेगें और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई के लिए अन्य सदस्य को निर्दिष्टकरेंगे और ऐसे बिन्दु बिन्दुओं को तदनुसार राष्ट्रीय आयोग के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा।]

---

१ अधिसूचना क्रमांक 398 (ई) दि.15 अप्रैल 1987 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) में दि. 15.04.1987 को प्रकाशित।

२ सा. का. नि. 605 (अ) दि. 30 अगस्त 1995 द्वारा अन्तः स्थापित।

३ अधिसूचना क्रं. 95 (ई) दि. 27.12.97 द्वारा अन्तःस्थापित।

४ सा. का. नि. 800 (ई) दि. 30.12.93 द्वारा (दि. 30.12.1993 से) प्रतिस्थापित।

५ अधिसूचना क्रं. 95 (ई) दि. 27.12.97 द्वारा अन्तःस्थापित।

६ सा. का. नि. 658 (ई) दिनांक 14 जुलाई 1987 द्वारा अन्तः स्थापित।

७ अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. क्रं. 88 (ई) दि. 24.02.1994 द्वारा अन्तः स्थापित।

८ सा.का.नि. 522 (ई) दिनांक 22.06.1994 द्वारा (दि. 22.06.94 से) प्रतिस्थापित।

९ सा. का. नि. 95 (ई) दिनांक 27.02.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

१० सा. का. नि. 533 (ई) दिनांक 14.08.91 द्वारा उपनियम (7), (8) एवं (9) को विलुप्त किया एवं उपनियम (10) को पुनर्क्रमांकित कर उपनियम (7) किया गया।

११ सा. का. नि. 95 (ई) दिनांक 27.02.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

१२ सा. का. नि. 533 (ई) दिनांक 14.08.91 द्वारा प्रतिस्थापित।

१३ सा. का. नि. 533 (ई) दिनांक 14.08.91 द्वारा प्रतिस्थापित।

१४ अधिसूचना क्रं. सा.का.नि. 97 (ई) दि. 27.2.97 द्वारा अन्तःस्थापित।